(65)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 7007–पीबीआर/15 विरूद्ध आदेश दिनांक 20–4–2015 पारित द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प रायसेन प्रकरण कमांक 15/बी–103/2014–15/48(ख).

श्रीमती यशोदा पटेल पत्नी बद्रीप्रसाद उर्फ मोहनलाल
निवासी ग्राम तरावली
तहसील गौहरगंज जिला रायसेन .....आवेदिका

विरूद्ध

1– म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर आफ स्टाम्प
पंजीयक कार्यालय जिला रायसेन
2– उप पंजीयक (स्टाम्प) पंजीयक औबेदुल्लागंज
जिला रायसेन
3– शाखा प्रबंधक
इलाहाबाद बैंक शाखा मिसरोद भोपाल .....अनावेदकगण

श्री प्रेमसिंह, अभिभाषक, आवेदिका

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/7/17 को पारित)

आवेदिका द्वारा यह निगरानी भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 (जिसे संक्षेप में अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 56 के अंतर्गत कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि जिला पंजीयक, रायसेन की ऑडिट नोट अवधि 25 एवं 26–9–2014 की कंडिका–5 में आक्षेप लिये जाने के आधार पर उप पंजीयक औबेदुल्लागंज द्वारा दस्तावेज की प्रतिलिपि पालन प्रतिवेदन के संलग्न कलेक्टर आफ स्टाम्प रायसेन को संदर्भित किया गया । कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा प्रकरण कमांक 15/बी–103/2014–15/48(ख) दर्ज किया जाकर दिनांक 20–4–2015 को आदेश पारित कर बन्धक विलेख मूल्य 13,90,000/– पर मुद्रांक शुल्क रूपये 13,900/– निर्धारित किया जाकर अधिनियम की धारा 40 के अन्तर्गत शास्ति रूपये 1,000/– अधिरोपित करते हुए

कुल रूपये 15,640/– जमा करने के आदेश दिये गये । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) आवेदिका एवं अनावेदक कमांक 3 बैंक के मध्य निष्पादित दस्तावेजों के सम्बंध में आवेदिका द्वारा तत्समय प्रचलित सम्पूर्ण मुद्रांक शुल्क अनावेदक कमांक 3 बैंक के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया था ।

(2) अनावेदक कमांक 3 बैंक का दायित्व था कि आवेदिका से प्राप्त मुद्रांक शुल्क अनावेदक कमांक 2 उप पंजीयक के समक्ष जमा करवाते, परन्तु उनके द्वारा अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही की गई है । अतः अनावेदक कमांक 3 की लापरवाही के लिए आवेदिका को दण्डित नहीं किया जा सकता है ।

(3) आवेदिका द्वारा ऋण प्राप्त करने के लिए सभी शर्तों का पालन किया गया था, परन्तु अनावेदक कमांक 1 कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा उक्त महत्वपूर्ण तथ्य पर विचार किये बिना ही आवेदिका के विरूद्ध आदेश पारित करने में त्रुटि की गई है ।

(4) आवेदिका द्वारा कभी भी श्री सुनील शर्मा नामक व्यक्ति का प्रकरण में पक्ष समर्थन हेतु अधिकृत नहीं किया गया था । अतः इस सम्बंध में अनावेदक कमांक 1 कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में निकाला गया निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण है ।

(5) अनावेदक कमांक 1 कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा पारित आदेश न्यायिक एवं बोलता हुआ आदेश नहीं माना जा सकता, क्योंकि आदेश पारित करने के पूर्व कलेक्टर आफ स्टाम्प द्वारा अनावेदक कमांक 3 बैंक से आवेदिका की ओर से मुद्रांक शुल्क जमा करने सम्बंधी दस्तावेजों की जांच की जाती तो वास्तविक तथ्य स्वमेव ही उनके समक्ष आ जाते, परन्तु उनके द्वारा कोई जांच नहीं कर केवल संभावनाओं के आधार पर आदेश पारित किया गंया है, जो त्रुटिपूर्ण होकर निरस्त किये जाने योग्य है ।

4/ अनावेदकगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई है ।

पूर्व से एकपक्षीय है ।

5/ आवेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखत तर्क में उठाये गये आधारों के सदंर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा अपने आदेश में स्पष्ट विवेचना की गई है कि आवेदिका द्वारा भूमि बन्धक रखकर रूपये 13,90,000/– ऋण

लिया गया है, और शासन के नियमानुसार रूपये 10,00,000/– तक कृषि कार्य हेतु बन्धक विलेख पर मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की गई है । चूंकि आवेदिका द्वारा रूपये 10,00,000/– से अधिक रूपये 13,90,000/– ऋण लिया गया था, इसलिए एक प्रतिशत की दर से मुद्रांक शुल्क देय है, जिसे आवेदिका की ओर से श्री सुनील शर्मा ने उपस्थित होकर स्वीकार भी किया गया है । अतः कलेक्टर ऑफ स्टाम्प द्वारा निर्धारित मुद्रांक शुल्क एवं अधिरोपित शास्ति विधि अनुसार होने से उनका आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर ऑफ स्टाम्प, रायसेन द्वारा पारित आदेश दिनांक 20–4–2015 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर